



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:- एफ-6 () आ.राज. (सा.प्र.)/नगिज/2014/ 355

दिनांक:- 2/12/2014

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, ट्राईऐंग्यूलर साईनैज, निर्मित सुलग शौचालय, निर्मित यूनियोपल 20'X10' व सूची में अंकित चिह्नित स्थानों पर संवेदक द्वारा नई यूनियोपल विज्ञापन साईट लगाने व निर्मित विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु, खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 106 के बाहर की जायेंगी।

नीलामी दिनांक 21.01.2015 से 23.01.2015 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की जावेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	यूनियोपल- मोती बूंगरी जोन, सिविल लाईन जोन, विद्याधर नगर जोन, मानसरोवर जोन, सागानेर जोन, आमेर जोन, हबामहल जोन (पूर्व), निर्मित सुलग शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण एवं 25 निर्मित यूनियोपल 20X10 वर्गफुट	21.01.2015	16'X8' साईज के यूनियोपल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनियोपल के 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.) प्रति साईट रूपये 15000/- प्रति सुलग शौचालय रूपये 20,000/- प्रति निर्मित यूनियोपल साईट 20'X10'
2.	ट्राईऐंग्यूलर साईनैज (रोड आईलैण्ड पर) एवं निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण	22.01.2015	ट्राईऐंग्यूलर साईनैज प्रति (रोड आईलैण्ड पर) के 5,000/- रु. (पांच हजार रु.) प्रति ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) प्रति 20,000 रु. पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.)
3.	उपरोक्त में से शेष बची विज्ञापन साईटें	23.01.2015	शेष विज्ञापन साईट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार

नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

- उपरोक्त यूनियोपल, ट्राईऐंग्यूलर साईनैज (रोड आईलैण्ड पर), निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), ओवरब्रिजों पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, निर्मित सुलग शौचालय, निर्मित यूनियोपल 20'X10' विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटें हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जा सकेगी।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तों की जानकारी राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है अथवा नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.Jaipur.mc.org Hoarding पर देखी जा सकती है।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को राजस्थान संवाद के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

Sd/
आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर